

20.08.25

५  
पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया या वादिया स्वंप  
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित  
नहीं हुए। अतः वादिया का यह वादपत्र अदम पैरवी-  
अदम हाजिरी में इसी स्तर पर लाजिज किया जाता है।  
पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर डाकिल अफसर हो।

निर्णय लिखा जाकर लुले-आपालप में मुनाया गया।



(सुनीलकुमार चौधान)  
RAS